

प्ररूप 8
{नियम 13 (3) और 26 देखिए}

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन				
सेवा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,विधान सभा / [£] संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र		हाल ही के पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ (3.5 से0मी0 x 3.5से0मी0), जिसमें बॉक्स के भीतर चेहरे का पूरी आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान		
महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मुझसे संबंधित प्रविष्टि शुद्ध नहीं है और इसे शुद्ध कर दिया जाए। मेरे निवेदन के समर्थन में शुद्ध विवरण निम्नानुसार हैं:-				
I. आवेदक का विवरण	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)		
निर्वाचक नामावली का भाग संख्या:		उस भाग में क्रम संख्या:		
1 जनवरी..... [#] को आयु	वर्ष:	मास:	लिंग (पुरुष/स्त्री/अन्य):	
जन्म तिथि, यदि ज्ञात है:	तारीख:	मास:	वर्ष:	
पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)		
II. साधारण निवास स्थान का विवरण (पूरा पता)				
मकान/गृह संख्या:				
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क:				
नगर/ग्राम:				
डाकघर:	पिन कोड			
तहसील/तालुक/मंडल/थाना:				
जिला:				
III. निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र का विवरण :				
निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या:				
निर्वाचन क्षेत्र का नाम:				
IV. शुद्ध की जाने वाली प्रविष्टियों का विवरण				
इस प्रारूप में ऊपर उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार मेरा नाम-*आयु/*मेरे पिता/माता/पति का नाम/*लिंग/*पता/*निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र संख्या *शुद्ध कर दिया जाए।				
स्थान: तारीख: कृपया अपना मोबाईल नम्बर / ई-मेल आई.डी. दें (ऐच्छिक) _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">निर्वाचक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान</div>				

टिप्पणी:- जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है, जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा।

[£] उन संघ राज्यों क्षेत्रों जिनमें विधान सभा नहीं हैं और जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में।

[#] कृपया वर्ष उल्लिखित करें जैसे 2011, 2012 आदि।

- अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

**की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाए)**

श्री/श्रीमती/कुमारी.....के निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की शुद्धि के लिए प्रारूप 8 में आवेदन को स्वीकार*/नामंजूर* कर दिया गया है ।

स्वीकार *किए जाने {नियम 18/20/26(4)[‡] के अधीन या अनुसरण में} या नामंजूर किए जाने {नियम 17*/20*/26(4)[‡] के अधीन या अनुसरण में} के लिए विस्तृत कारण:

स्थान:		
दिनांक:	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर	(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की मुहर)

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

[‡]निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् सतत् अद्यतीकरण करने के दौरान ।

क्षेत्रीय पदाधिकारी (अर्थात् बूथ लेबल अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणियां

यह पृष्ठ इतना सघन होना चाहिए कि यह डाक द्वारा भेजे जाने पर विकृत/क्षतिग्रस्त न हो

कृत कार्यवाही की सूचना
(इस पृष्ठ का भाग-11 निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जायेगा एवं आवेदक द्वारा भाग-1 में दर्शाए गये पते पर आवेदक को भेजा जायेगा)

.....प्रथम मोड़.....
भाग-1

डाक प्रेषण के
समय निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण
प्राधिकारी द्वारा
डाक टिकट
चिपकाया जाए

प्ररूप-8 पर **श्री / श्रीमती / कुमारी.....का आवेदन पत्र

**(पूरा पता)									
मकान/गृह संख्या :									
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क:									
नगर / ग्राम :									
डाक घर :					पिन कोड :				
तहसील / तालुक / :									
मण्डल / थाना									
जिला :									

**आवेदक द्वारा भरा जायेगा।

.....द्वितीय मोड़.....
भाग-11

(क) स्वीकृत कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कुमारी.....का नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रकी भाग संख्या.....की क्रमांक.....पर तदनुसार संशोधन कर लिया गया है।

(ख) कारण से अस्वीकृत किया गया है।

दिनांक

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
(पता)
.....
.....

..... छिद्रण.....

आवेदन की पावती

**श्री / श्रीमती / कुमारी.....

**पता.....

से प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त किया ।

दिनांक:.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
(पता).....
.....
.....

**आवेदक द्वारा भरा जाए ।

आवेदन प्ररूप-8 भरने के लिए दिशा-निर्देश

सामान्य अनुदेश

प्ररूप-8 कौन दाखिल कर सकता है

1. उस व्यक्ति द्वारा जिसका नाम पहले से ही निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है तथा विवरण निर्वाचक नामावली में मुद्रित है, प्रविष्टियों में संशोधन हेतु आवेदन दाखिल किया जा सकता है। एक व्यक्ति प्ररूप 8 में किसी अन्य व्यक्ति से सम्बंधित विवरण में सुधार के लिये आवेदन पत्र दाखिल नहीं कर सकता।

प्ररूप-8 कब दाखिल किया जा सकता है

1. निर्वाचक नामावली में सम्मिलित व्यक्ति के विवरण में संशोधन के लिये प्ररूप 8 दाखिल किया जा सकता है। निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के प्ररूप प्रकाशन के पश्चात् आवेदन दाखिल किया जा सकता है। आवेदन, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट दिनों के भीतर ही दाखिल किया जाना होता है। जब पुनरीक्षण कार्यक्रम की उद्घोषणा होती है, तब उपर्युक्त अवधि के विषय में व्यापक प्रचार किया जाता है।
2. आवेदन की केवल एक प्रति ही दाखिल करनी होती है।
3. पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी नहीं रहने पर भी अंतिम निर्वाचक नामावली में अपने से संबंधित प्रविष्टि के संशोधन के लिए आवेदन वर्ष में कभी भी दाखिल किया जा सकता है। गैर-पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन दो प्रतियों में दाखिल किया जाना चाहिए।

प्ररूप-8 कहां दाखिल किया जाए

1. पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन उन अभिहित स्थलों (प्रायः मतदान केन्द्र स्थल), जहां प्ररूप निर्वाचक नामावली प्रदर्शित की जाती है, के साथ-साथ निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास दाखिल की जा सकती है।
2. वर्ष की अन्य अवधि के दौरान जब पुनरीक्षण का कार्य नहीं चल रहा हो, तब आवेदन केवल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास ही दाखिल किया जा सकता है।

प्ररूप-8 कैसे भरें

1. आवेदन उस निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए, जहां आवेदक का नाम पहले से नामावली में सम्मिलित है। खाली स्थान में निर्वाचन-क्षेत्र के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए।
2. आवेदन के भाग I में आवेदक अपना नाम भरें, जैसा निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट होना चाहिये। यदि निर्वाचक नामावली में आपका संक्षिप्त नाम प्रविष्ट है और आप अपना पूरा नाम मुद्रित कराना चाहते हैं तब अपना पूरा नाम लिख सकते हैं। पहले खाने में उपनाम को छोड़कर शेष पूरा नाम लिखा जाना चाहिये तथा उपनाम दूसरे खाने में लिखा जाना चाहिये। यदि आपका कोई उपनाम नहीं है तो आपको दिया गया नाम ही अंकित करें। जाति का उल्लेख सिर्फ वहीं किया जाना है, जहां यह निर्वाचक के नाम के अंश के रूप में अथवा उपनाम के रूप में प्रयुक्त है अन्यथा नहीं। सम्मान सूचक पदवियां जैसे श्री, श्रीमती, कुमारी, खान, बेगम, पंडित इत्यादि उल्लिखित नहीं किया जाना है।
3. निर्वाचक सूची के जिस भाग में आपका नाम प्रविष्ट है उसकी भाग संख्या तथा सूची में अपने नाम की क्रम संख्या का उल्लेख करें। यह अनिवार्य है।

4. उम्र

इसी तरह, उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसके आधार पर निर्वाचक नामावली मुद्रित हुई है आपको अपनी उम्र वर्ष एवं महीने में अंकित करनी चाहिये। यह अर्हता तिथि निर्वाचक नामावली के प्रत्येक पृष्ठ में नीचे मुद्रित है।

5. लिंग

प्रदत्त स्थान में अपने लिंग का स्पष्ट उल्लेख करें, जैसे पुरुष/महिला। यदि आवेदक स्वयं को पुरुष या महिला में वर्गीकृत करना नहीं चाहते तो वे अपना लिंग "अन्य" लिख सकते हैं।

6. जन्म तिथि (दस्तावेजी साक्ष्य के साथ)

प्रदत्त स्थान में जन्म तिथि, दिनांक/माह/वर्ष के अनुसार अंकों में भरें। जन्मतिथि के लिये निम्नलिखित साक्ष्य संलग्न करें:-

- (i) नगर पालिका प्राधिकारियों या जिला निबंधक, जन्म व मृत्यु पंजीकरण के कार्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण-पत्र या बैप्टीजम प्रमाण-पत्र; या
- (ii) आवेदक द्वारा दाखिला लिए गए अंतिम (सरकारी/मान्यता प्राप्त) विद्यालय या अन्य मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त जन्म प्रमाण-पत्र; या
- (iii) यदि व्यक्ति ने दसवीं कक्षा या इससे अधिक उत्तीर्ण की हो, तो उसे दसवीं कक्षा की अंकतालिका की प्रतिलिपि देनी चाहिए यदि उसमें साक्ष्य के रूप में जन्म तिथि अन्तर्विष्ट की गई हो, या

- (iv) आठवीं कक्षा की अंकतालिका यदि उसमें जन्म तिथि अन्तर्विष्ट हो, या
- (v) पांचवीं कक्षा की अंकतालिका यदि उसमें जन्म तिथि अन्तर्विष्ट हो, या
- (vi) यदि व्यक्ति दसवी कक्षा तक शिक्षित नहीं है तो उसके माता-पिता द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध-1 पर घोषणा की जानी है (उन मामलों में जहाँ आयु के साक्ष्य के रूप में पैतृक घोषणा की जाती है, आवेदक को सत्यापन हेतु बूथ लेवल अधिकारी/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होना होगा।
- (vii) यदि व्यक्ति दसवी कक्षा तक शिक्षित न हो एवं दोनों माता-पिता जीवित न हो, तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान/सरपंच या सम्बन्धित नगर निगम/ नगर पालिका के सदस्य द्वारा जारी किया गया उसकी आयु का प्रमाण-पत्र दिया जाए।

टिप्पणी:- आयु सम्बन्धी दस्तावेजी साक्ष्य केवल उन मामलों में ही आवश्यक होंगे जहाँ आवेदक की आयु 18 और 21 वर्षों के मध्य हो। अन्य सभी मामलों में आवेदक के द्वारा अपनी आयु के सम्बन्ध में की गई घोषणा, आयु साक्ष्य के रूप में ली जायेगी।

7. नातेदार का नाम:

अविवाहित महिला आवेदक के मामले में पिता/माता के नाम का उल्लेख किया जाए। विवाहित महिला आवेदक के मामले में पति के नाम का उल्लेख किया जाए। इस स्तंभ से अनुपयुक्त विकल्पों को काट दें।

8. साधारण निवास स्थान

दिए गए स्थान में पिन कोड सहित उस जगह का पूरा डाक-पता उल्लिखित करें, जहां आप साधारणतया निवास करते हैं तथा पंजीकरण कराना चाहते हैं।

साधारण निवास स्थान के लिये निम्नलिखित साक्ष्य संलग्न करें :

- (i) बैंक/किसान/डाक-घर का चालू पासबुक, या
- (ii) आवेदक का राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आयकर रिटर्न या निर्धारण आदेश ; या
- (iii) आवेदक या उनके निकट संबंधी जैसे माता-पिता आदि के नाम से उस पते पर अद्यतन जल/टेलीफोन/ बिजली/गैस कनेक्शन बिल ; या
- (iv) डाक विभाग द्वारा दिए गए पते पर प्राप्त की गई/सुपुर्द की गई डाक।

टिप्पणी:- बेघर व्यक्तियों के मामले में बूथ लेवल अधिकारी को अभिनिश्चित करने हेतु प्ररूप 6 में दिये गए पते पर रात्रि में जाना होगा कि बेघर व्यक्ति स्थान पर वास्तव में सोता है जैसाकि उसने प्ररूप 6 में अपना पता दिया है। यदि बूथ लेवल अधिकारी सत्यापन करने में समर्थ हो जाता है कि बेघर व्यक्ति उस स्थान में वास्तव में सोता है, तो आवासीय स्थान के दस्तावेजी साक्ष्य लेने आवश्यक नहीं होंगे। बूथ लेवल अधिकारी को ऐसे सत्यापन करने हेतु एक रात से अधिक बार जाना चाहिए।

9. मतदाता फोटो पहचान पत्र का विवरण

यदि आपके पास पहले से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र है, तो कृपया पहचान पत्र का क्रमांक (सामने की ओर मुद्रित) एवं उसके निर्गत होने की तिथि (पीछे की ओर मुद्रित) आवेदन पत्र के भाग III में प्रदत्त स्थान में उल्लिखित करें। कृपया पहचान पत्र के दोनों तरफ की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करें।

10. शुद्ध किये जाने वाली प्रविष्टियों का विवरण

आवेदन के भाग IV में उल्लिखित विकल्पों में से उन्हें इंगित करें जिनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों को शुद्ध किया जाना है। अतः यह आवेदन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आपने अपने नाम, उम्र, जन्मतिथि, नातेदार का नाम, लिंग, पता तथा फोटो पहचान पत्र की सही प्रविष्टि आवेदन के भाग I, II व III में यथास्थान कर दी है। इस भाग IV में आपको स्पष्ट रूप से टिक का चिन्ह लगाकर इंगित करना है कि आपके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर किस प्रविष्टि का शुद्धिकरण किया जाना है। जिन विकल्पों का संशोधन अपेक्षित नहीं है उसे कृपया काट दें।

अब देश के अधिकांश हिस्सों में निर्वाचक नामावली निर्वाचकों के छायाचित्र के साथ मुद्रित होती है। यदि आवेदन गलत छायाचित्र को शुद्ध करने के लिये दिया गया हो तब आवेदक आवेदन के भाग IV में 'मेरा छायाचित्र' उल्लिखित कर सकते हैं और यदि संभव हो तो अपना हाल का पासपोर्ट आकार का रंगीन छायाचित्र आवेदन के साथ संलग्न करें।

कृपया सूचना तथा पावती के भाग में अपना पूरा नाम एवं पता भी लिखें।

कृपया प्ररूप में अपना मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दें, जोकि ऐच्छिक है, क्योंकि यह, यदि दिया गया हो, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जब भी आवश्यक हो आवेदक के साथ आगामी पत्र-व्यवहार/सम्पर्क हेतु प्रयोग किया जा सकता है।